



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट – ए संख्या – 1030 वर्ष 2026

डॉ. प्रीतियाचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ एवं 2 अन्य प्रतिवादी

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता: राय साहब यादव

प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता: सी.एस.सी., शिव कुमार पाल

न्यायालय संख्या – 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. रिट याचिकाकर्ता की ओर से श्री राय साहब यादव, अधिवक्ता तथा भारत संघ की ओर से श्री एस.के. पाल, उप महान्यायवादी को सुना गया।
2. रिट याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा एक प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई कि रिट याचिकाकर्ता रेलवे में सहायक मंडल चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत है तथा जो राहत मांगी गई है, वह उसे अपनी सेवाओं में पुनः कार्यग्रहण की अनुमति प्रदान करने से संबंधित है। अतः रिट याचिकाकर्ता को केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का रुख करना होगा।
3. रिट याचिकाकर्ता के अधिवक्ता इस तथ्य का खंडन नहीं कर सके कि एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ : एआईआर 1997 सुप्रीम कोर्ट 1125, में पारित निर्णय के दृष्टिगत, रिट याचिकाकर्ता को अधिकरण के समक्ष जाना होगा।
4. तदनुसार, रिट याचिका का निस्तारण करते हुए रिट याचिकाकर्ता को यह स्वतंत्रता प्रदान की जाती है कि वह विषय पर क्षेत्राधिकार रखने वाले अधिकरण के समक्ष जा सकता है।”

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार,)

जनवरी 29, 2026

राजेश

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”